...का पेश है।

30/0/23 पत्रावली पेश हुई। बहस प्रार्थी पूर्व पेशी पर सुनी गई। अप्रार्थीगण की तरफ से कोई उपस्थित नहीं रहने के कारण पूर्व में एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र व बहस में यह बताया गया कि पूर्व में उक्त विवादग्रस्त भूमि बाबत एक विभाजन का एग्रीमेंट तैयार कर 05/06/2015 को आपसी सहमति का बंटवाडा तहसीलदार पीपाड शहर से तस्दीक करवाकर प्रस्तुत किया. जिसके आधार पर ही प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 मौके पर काबिज काश्त है। राजस्व रेकार्ड मे अप्रार्थी सं. एक ने कांट छांट कर के गलत नामांतरण स्वीकृत करवाया है व मौके अनुसार तरमीम नहीं करवाकर गलत तरमीम करवा रखी है। पत्रावली के अवलोकन से

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
... (जोधपुर

हुक्म

स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमि ग्राम बोरु में मूल खसरा 30, 35 हेतु एक विभाजन एग्रीमेंट तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत हुआ जिस आधार पर नामांतरण भी स्वीकृत हुआ। पत्रावली में संलग्न विभाजन एग्रीमेंट में खसरा संख्या 30, 35 के रकबे में कांट छांट दर्शित हो रही है अब ये परिवर्तन तीनो ही खातेदारो की सहमति से हुआ या इस परिवर्तन के संबंध में TOR के समक्ष कोई कथन आए या नहीं ये बिंदु मूल वाद में साक्ष्यों द्वारा सिद्ध होंगे परंतु तब तक उक्त विवादग्रस्त भूमि का स्वरूप परिवर्तन होगा या बेचान हस्तांतरण होंगे तो वाद बहुलता बढेगी। अतः प्रथमदृष्टतया, अपूरणीय क्षति के बिंदु प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थी व अप्रार्थीगण को इस कदर अस्थाई निषेधाज्ञा से मूल वाद निस्तारण तक पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम बोरून्दा के ख. सं. 30, 30/1, 35, 35/2 में राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखेंगे, बेचान हस्तांतरण नहीं करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा (जोधपुर)